संख्या-1/2023/936/009-23-14-2022-09(जनरल)/2022

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
मीरजापुर, बलरामपुर, मऊ, बलिया एवं श्रावस्ती।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 07 जनवरी, 2023**

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 में जनपद-मीरजापुर, बलरामपुर, मऊ, बलिया एवं श्रावस्ती की 23 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर के पत्र संख्या-3533/पू0वि0नि0(राज्यांश), दिनांक 16.11.2022, मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर के पत्र संख्या-2174/1ए, दिनांक 17.11.2022, पत्र संख्या-2175/1ए, दिनांक 17.11.2022, पत्र संख्या-2176/1ए, दिनांक 17.11.2022, पत्र संख्या-2172/1ए, दिनांक 17.11.2022, पत्र संख्या-2173/1ए, दिनांक 17.11.2022, मुख्य विकास अधिकारी, मऊ के पत्र संख्या-1432/पू0वि0नि0/राज्यांश/2022-23, दिनांक 19.10.2022, मुख्य विकास अधिकारी, बलिया के पत्र संख्या-3034/पू0वि0नि0, दिनांक 20.10.2022 एवं मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती के पत्र संख्या-682/पू0वि0नि0-राज्यांश/2022-23, दिनांक 29.09.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा विषयांकित जनपदों की कतिपय परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-2 में अंकित जनपदों की 23 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अगली किस्त के रूप में धनराशि रू0 14,64,48,000.00 (रूपये चौदह करोड़ चौसठ लाख अड़तालीस हजार मात्र) अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम/ जनपद का नाम	मूल शासनादेश संख्या एवं दिनांक	लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासकीय /प्रावैधिक लागत	अब तक अवमुक्त कुल धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	नर्सरी पौधशाला खुटहा मार्ग से कुशहाँ सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **जनपद-मीरजापुर**	07/2021आई/130545/2022, दिनांक 07.01.2022	3.00	137.29	68.63	62.20
2	रमईपट्टी महेवाघाट से लच्छापट्टी सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। **जनपद-मीरजापुर**	तदैव	2.50	136.94	68.46	66.77
3	जमुनी से कुड़ोहा नाले तक सम्पर्क मार्ग। **जनपद-बलरामपुर**	83/2018/318/23-14-2018-48आ0पू0वि0नि0/2017, दिनांक 30.03.2018	3.00	185.05	74.65	92.52
4	जमुनीकला से जमुनीखुर्द तक सम्पर्क मार्ग। **जनपद-बलरामपुर**	तदैव	1.00	62.15	25.09	36.82

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	सिरसिहवा से दुल्हिनडीह तक सम्पर्क मार्ग। **जनपद-बलरामपुर**	तदैव	1.80	150.23	60.74	75.11
6	बगहीसीर से भदुआ सम्पर्क मार्ग। **जनपद-बलरामपुर**	तदैव	1.70	107.36	43.34	53.68
7	रतनपुर पिछलेडीह से टिकुईयां गांव तक सम्पर्क मार्ग। **जनपद-बलरामपुर**	तदैव	1.05	69.75	28.22	41.30
8	भोजपुर रेहरा मार्ग से बेदमऊ गांव सम्पर्क मार्ग। **जनपद-बलरामपुर**	तदैव	1.25	98.77	39.99	50.00
9	ओजहवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बलरामपुर**	29/2019/51/23-14-2019-12आ0पू0वि0नि0/2018, टी0सी0-I, दिनांक 28.01.2019	1.10	71.47	28.58	42.75
10	सिरहिया से जोरावरहीडी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बलरामपुर**	तदैव	1.55	99.41	39.76	50.00
11	कोड़री से रमनगरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बलरामपुर**	26/2019/1364/23-14-2018-12आ0पू0वि0नि0/2018, टी0सी0, दिनांक 24.01.2019	1.10	72.04	43.21	28.80
12	लक्ष्मनपुरा से भुवालपुर होते हुए सुखरामपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बलरामपुर**	तदैव	1.10	65.98	39.58	26.32
13	बरगदवा सैफ से थुम्हा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **जनपद-बलरामपुर**	388/2016/1152/23-14-2016-73आ0पू0वि0नि0/16, दिनांक 23.11.2016	0.70	64.15	12.83	50.00
14	शेखागुलरिहा सम्पर्क मार्ग से नयनसुखवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बलरामपुर**	7/2022/आई0/130545/2022, दिनांक 07.01.2022	1.70	135.69	13.56	67.84
15	मिश्रौलिया चौराहे से फरदहिया से अम्बरनगर टेंगनहवा मार्ग का निर्माण। **जनपद-बलरामपुर**	तदैव	1.90	152.74	15.27	76.37
16	चरनगहिया से भूराबाबा होते हुए धंधरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बलरामपुर**	तदैव	2.80	225.33	22.53	112.66
17	इटई इटवा से मझौवा होते हुए जनुका सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बलरामपुर**	तदैव	2.10	168.74	16.87	84.37
18	भितवरिया कलां सिरसिया वाया पण्डितपुरवा सम्पर्क मार्ग। **जनपद-बलरामपुर**	तदैव	2.90	235.96	23.59	117.98
19	सकरी से किला सम्पर्क मार्ग। **जनपद-बलरामपुर**	तदैव	1.35	105.96	10.59	52.98
20	हरहटा से मतईडीह सम्पर्क मार्ग। **जनपद-बलरामपुर**	तदैव	3.35	265.33	26.53	132.66
21	अमिला पुलिस चौकी से मंझनपुर अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग। **जनपद-मऊ**	375/2016/1109/23-14-2016-03आ0पू0वि0नि0/16टी0सी0, दिनांक 22.11.2016	2.70	103.94	20.788	51.97
22	ग्राम पंचायत सुल्तानपुर बछईपुर के बीच नाले पर पुलिया एवं एप्रोच का निर्माण कार्य। **जनपद-बलिया**	07/2021आई/130545/2022, दिनांक 07.01.2022	0.30	122.25	12.22	61.12
23	बदला गिरन्ट (एन0एस0एल0एच0 मार्ग कि0मी0-19) मार्ग से हरिहरपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण। **जनपद-श्रावस्ती**	59/2018/291/23-14-2018-34आ0पू0वि0नि0/2017, दिनांक 27.03.2018	0.85	52.51	21.00	30.26
		योग	40.80	2889.04	756.028	1464.48

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबदध ढंग से पूर्ण कराये जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।

(2) उक्त परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

(3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमित्ता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

(5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें।

(6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(8) सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेगें।

(9) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(10) परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजनाओं के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(12) परियोजनाओं की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

(13) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/ दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(14) उपयुक्त परियोजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रू0 14,64,48,000.00 (रूपये चौदह करोड़ चौसठ लाख अड़तालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 056 **लेखाशीर्षक** 4575608000300 पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय **मानक मद** 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-1/2023/936(1)/009-23-14-2022-09(जनरल)/2022टी0सी0-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय,प्रयागराज ।
3- मण्डलायुक्त, सम्बन्धित मण्डल।
4- नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेन्ट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद के अनुसार।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7- मुख्य अभियन्ता, सम्बन्धित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग ।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in